न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 249/2024

अनवान : –

1. कमलेश दत्तक पुत्र भूराराम जाति गुजर निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. भुराराम पुत्र ईशरराम जाति गुजर निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः –26/12/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सायलान ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी 1956 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के ख0न0 72 की कुल 14.2020 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है।

सायला के दत्तक पिता भुराराम पुत्र ईशरराम के नाम उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूराराम के कोई संतान नही थी इसलिए सामाजिक रूप से परिवार, रिश्तेदारव गांव के मौजिज व्यक्तियों की मौजूदगी में अपने सगे भाई के पौत्र यानि सायल कमलेश को गोद ले लिया तथा हिन्दु रिति के अनुसार दत्तक ग्रहण की सभी परम्परा का पालन सामाजिक रूप से दिनांक 25.02.2020 को खोलानामा तहरीर करवाया था एवं उप पंजीयक नोहर से पंजीकृत करवाया था दस्तावेज गोदनामा में सायल के खोलायत पिता भूराराम के हस्ताक्षर व सायल के वास्तविक व प्राकृतिक पिता मांगीलाल व प्राकृत माता बाला देवी के अंगूठा निशान दर्ज है। उक्त वाद भूमि में सायल का गैरसायल सं0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज होने से गैरसायल स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहता है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायलान स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के ख0न0 72 की कुल 14.2020 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 [illegible] जरिये अधि[illegible] जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि वर्तमान राज[illegible] रिकार्ड [illegible] स0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड खोलानामा तहरीर किया गया है का कथन [illegible] है। उक्त खोला[illegible]बत उत्तरदाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 द्वारा वाद संख्या 24/2022 अनवानी भूराराम बनाम कमलेश निर्णय दिनांक 31.01.2024 को माननीय अपर जिला न्यायाधिश स0 2 नोहर द्वारा दिनांक 25.02.2020 का खोलानामा अवैध व शुन्य घोषित किया जा चुका है अर्थात निरस्त कर दिया गया है। इसलिए सायल किसी प्रकार से भी गैरसायल स0 1 का खोलायत पुत्र नही है। अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की सायला के दत्तक पिता भुराराम पुत्र ईशरराम के नाम उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूराराम के कोई संतान नही थी इसलिए सामाजिक रूप से परिवार, रिश्तेदारव गांव के मौजिज व्यक्तियों की मौजूदगी में अपने सगे भाई के पौत्र यानि सायल कमलेश को गोद ले लिया तथा हिन्दु रिति के अनुसार दत्तक ग्रहण की सभी परम्परा का पालन सामाजिक रूप से दिनांक 25.02.2020 को खोलानामा तहरीर करवाया था एवं उप पंजीयक नोहर से पंजीकृत करवाया था दस्तावेज गोदनामा में सायल के खोलायत पिता भूराराम के हस्ताक्षर व सायल के वास्तविक व प्राकृतिक पिता मांगीलाल व प्राकृत माता बाला देवी के अंगूठा निशान दर्ज है। उक्त वाद भूमि में सायल का गैरसायल सं0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। गैरसायलान संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहता है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड खोलानामा तहरीर किया गया है का कथन किया है। उक्त खोलानामा बाबत उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा वाद संख्या 24/2022 अनवानी भूराराम बनाम कमलेश निर्णय दिनांक 31.01.2024 को माननीय अपर जिला न्यायाधिश स0 2 नोहर द्वारा दिनांक 25.02.2020 का खोलानामा अवैध व शुन्य घोषित किया जा चुका है अर्थात निरस्त कर दिया गया है। इसलिए सायल किसी प्रकार से भी गैरसायल स0 1 का खोलायत पुत्र नही है। अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के ख0न0 72 की कुल 14.2020 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 25.02.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सायल के पक्ष खोलानामा तहरीर करवाया था एवं उप पंजीयक नोहर से पंजीकृत करवाया था दस्तावेज गोदनामा में सायल के खोलायत पिता भूराराम के हस्ताक्षर व सायल के वास्तविक व प्राकृतिक पिता मांगीलाल व प्राकृत माता बाला देवी के अंगूठा निशान दर्ज है जबकि प्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 नोहर के निर्णय दिनांक 31.01.2024 बअनवानी कमलेश बनाम भुराराम के मुताबिक दिनांक 25.02.2020 का खोलानामा अवैध व शुन्य घोषित किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 07.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:52 IST
Reason: SelfAttested